प्रेषक,

आयुक्त,
मुरादाबाद मण्डल,
मुरादाबाद ।

सेवा में,

कुलसचिव,
महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली ।

संख्या- 930 /सत्ताईस-05(2008-09)जे0ए0

दिनांक : जुलाई 15 ,2009

विषय :- नवीन महाविद्यालय/संस्थान एवं पाठ्यक्रम/विषय की स्थापना/संचालन हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित आपके पत्रांक रू.वि./सम्ब./2009/2792-93 दिनांक 10.03.2009 के संदर्भ में शासनादेश संख्या-2284/सत्तर-2-2009-2(166)/2002 दिनांक 29-06-2009 में प्रतिनिधायित शक्तियों के फलस्वरूप गठित समिति ने सम्यक विचारोपरान्त रजनीश प्रताप सिंह महाविद्यालय, हल्दौर, बिजनौर को कला संकायान्तर्गत बी0ए0 पाठ्यक्रम में हिन्दी, अंग्रेजी, भूगोल, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र विषयों में तथा विज्ञान संकायान्तर्गत बी.एससी. पाठ्यक्रम में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान विषयों में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रदान कर दी है :-

1- उक्त पाठ्यक्रम का संचालन राज्य सरकार एवं तत्पश्चात् विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद ही किया जायेगा । सम्बद्धता प्राप्त किये बिना छात्रों के प्रवेश की कार्यवाही कदापि प्रारम्भ नहीं की जायेगी ।

2- उक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जायेगी जब यह संस्थागत शासनादेश संख्या-3075/ सत्तर-2-2002-2(166)/2002 दिनांक 27-09-2002, शासनादेश संख्या-3411/सत्तर-2-2002-2(166)/2002 दिनांक 11-10-2002, शासनादेश संख्या-193/ सत्तर-2-2003-2-(166)/2002 दिनांक 13-01-2003, शासनादेश संख्या-585मु0मं0/सत्तर-2-2005-2(166)/2002 दिनांक 21-10-2005 एवं शासनादेश संख्या-743मु0मं0/सत्तर- 2-2006-2(166)/2002 दिनांक 07-11-2006 तथा समय-समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार सभी आवश्यकताएँ एवं औपचारिकताएँ पूर्ण कर लेगी ।

3- उक्त संस्थान भविष्य में भूमि, भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए न तो शासन से मांग करेगी और न ही उनके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुई वित्तीय दायित्व की देनदारी राज्य सरकार की होगी ।

4- संस्थान की किसी लायबिलिटी से राज्य सरकार का कोई सरोकार नहीं होगा ।

5- राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता, सम्बद्धता से पूर्व संस्थान द्वारा सुनिश्चित की जायेगी ।

6- उक्त पाठ्यक्रम में स्टाफ के वेतन आदि पर पड़ने वाला समस्त व्यय भार संस्थान द्वारा वहन किया जायेगा एवं सम्बद्धता के समय इस आशय की लिखित अण्डरटेकिंग भी प्रस्तुत करनी होगी ।

7- मानक अनुसार आवश्यक भूमि महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराकर खतौनी की प्रति सक्षम राजस्व अधिकारी से प्रमाणित कराकर अथवा भूमि किसी प्राधिकरण से क्रय किये जाने की स्थिति में लीजडीड की प्रमाणित प्रति सम्बद्धता के प्रस्ताव के साथ उपलब्ध करायी जायेगी ।

8- उक्त पाठ्यक्रम का संचालन अनापत्ति प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत भू-अभिलेखों में उल्लिखित ग्राम हल्दौर, तहसील एवं जिला बिजनौर में स्थित गाटा संख्या-1147मि0 क्षेत्रफल 0.164, गाटा संख्या-1148मि0 क्षेत्रफल 0.240, गाटा संख्या-1149मि0 क्षेत्रफल 0.126, गाटा संख्या-1150मि0 क्षेत्रफल 0.191 कुल क्षेत्रफल 0.834 हैक्टेअर में से 5480 वर्गमीटर भूमि में मानक अनुसार निर्मित भवन में ही संचालित किया जायेगा । अन्यत्र संचालित करने पर यह अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी । उक्त भूमि को सम्बद्धता के प्रस्ताव के पूर्व महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करा लिया जायेगा ।

9- ट्रस्ट/सोसायटी एक प्रबन्ध समिति का गठन कर लेगी और उसके सदस्य परस्पर सम्बन्धी नहीं होंगे और भूमि महाविद्यालय के नाम विधितः अन्तरित कर दी जायेगी ।

कृपया उपर्युक्तानुसार अग्रत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(राम सूरत दुबे)
आयुक्त।

संख्या व दिनांक - उपरोक्त ।

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सचिव, उ0 प्र0 शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, लखनऊ ।
2- निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0 प्र0, इलाहाबाद ।
3- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली ।
4- जिलाधिकारी, बिजनौर ।
5- सचिव/प्रबन्धक, रजनीश प्रताप सिंह महाविद्यालय, हल्दौर, जिला बिजनौर ।

(राम सूरत दुबे)
आयुक्त।

Alam-Com N0-01-(R.A-1)-17

संख्या-4254/सत्तर-2-2009-2(497)/2009

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ:दिनांक: 31 दिसम्बर, 2009

विषयः- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक:रू0वि0/सम्ब0/2009/3594-96, दिनांक 25-08-2009 एवं पत्रांक:रू0वि0/सम्ब0/2009/3372, दिनांक 28-12-2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन रजनीश प्रताप सिंह महाविद्यालय, हल्दौर, बिजनौर को स्नातक स्तर पर कला संकायान्तर्गत बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, भूगोल, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र) तथा विज्ञान संकायान्तर्गत बी0एस-सी0 (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जन्तु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान) विषयों में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन सत्र 2009-10 से आगामी तीन वर्ष हेतु सशर्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:-

(1) संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा!

(2) संस्थान/महाविद्यालय प्रपत्र 'बी' में अंकित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।

(3) संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

(4) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)
अनु सचिव।

संख्या-4254(1)/सत्तर-2-2009-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
(3) सचिव/प्रबन्धक, रजनीश प्रताप सिंह महाविद्यालय, हल्दौर, बिजनौर।
(4) निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री।
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्द्रदेव पटेल)
अनु सचिव।

संख्या– सम्ब0–158 / सत्तर–2–2012–2(158) / 2012

प्रेषक,

सुबोध कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
महात्मा ज्योतिबाफुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय ,
बरेली।

उच्च शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक 3 /जुलाई, 2012

विषयः– **महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांकः रू0वि0 / सम्ब0 / 2012 / 7117–18, दिनांक 4–06–2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन रजनीश प्रताप सिंह महाविद्यालय, हल्दौर, बिजनौर को कला संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, भूगोल, गृहविज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र) एवं विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0एस0सी (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जन्तु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान) पाठ्यक्रम / विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तो के अधीन दिनांक 1–7–2012 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी हैः–

(1) संस्था शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

(2) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।